न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमन्द

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स सं. 03/2017

दायर दिनांक 02.11.2017

निर्णय दिनांकः 29.08.2025

अनवान् मुकदमा

1. रामसिंह पिता श्री अनुपसिङ जी. जाति चदाणा, आयु–35 वर्ष निवासी गाव तारोट तहसील व जिला राजसमन्द
2. दिनेशसिंह पिता श्री शम्भुसिंह जी, जाति चदाणा, आयु 27 वर्ष निवासी गाव तारोट तहसील व जिला राजसमन्द
3. रामसिंह पिता श्री गोपसिह जी जाति खरवड़ आयु 47 वर्ष निवासी गांव तारोट तहसील व जिला राजसमन्द

—— प्रार्थी

बनाम

1. सन्तोष कमार पिता शंकरजी जाति भील, निवासी तारोट तहसील व जिला राजसमन्द
2. श्रीमती खीमली पत्नि श्री कैलाश लाल जी (पुत्री शकर जी), जाति निवासी जरडाया, आत्मा, तहसील व जिला राज्समन्द
3. श्रीमती वसनी पत्नि श्री जगदीशचन्द्र जी (पुत्री शंकर जी) जाति भील निवासी दोवड तहसील व जिला राजसमन्द
4. तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय राजसमन्द

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 रेफरन्स वास्ते खारिज करने भू–आवटन, जो पत्रावली क्रमांक 1172/1978 तारीख फैसला 31/12/1978 में दिय उप जिलाधीश महोदय राजसमन्द के आदेश को निरस्त करने बाबत।

उपस्थित :

1– श्री शैलेन्द्र शक्तावत, अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री रोशनलाल सोनगरा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित।
3– अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अनुपस्थित।(एकपक्षीय कार्यवाही)
4– श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 4

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 जिलाधीश राजसमन्द के आदेश क्रमांक 1172/1978 दिनांक 31.12.1978 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम तारोट पटवार सर्कल साकरोदा भू–अभिलेख क्षेत्र फरारा तहसील व जिला राजसमन्द में विपक्षीगण के पिता शंकर पिता बगता जी मील के खातेदारी हक से निम्न कृषि भूमिया स्थित थी।

खाता संख्या		आराजी नम्बर		रकबा	किस्म
नये	पुराने	वर्तमान	साबिक न		
202	215	1562/976	1497/976	04–00–00	बा. तृ.

प्रार्थना पत्र की कालम सख्या एक में वर्णित कृषि भूमि आराजी नम्बर 1497/976 का कुल रकबा 12–10–00 बीधा है जो सवत् 2022 में राजस्व अभिलेख में आबादी दर्ज हैं। इस आराजी के सम्पूर्ण रकबे पर हेमा पिता चतरभुज, जगतिंग पिता लखा, वक्ता पिता सतारिंग, उदा, अनोप पिता देवा, भूरा पिता किका, भीमा पिता माना, चदना पिता खुमा, वक्ता पिता प्ररता, रूपा पिता खुमा, तेजींग पिता मोती, मोडा पिता दूजा, चदाना, भीमा पिता किशना, जीवा, देवा, वागा पिता दीपा, मेरा पिता हरलाल, खरवड के कब्जे हो वे इस जमीन पर उपर मकान बना अपने परिवार सहित निवास कर रहे हैं इस कब्जे का अंकन खसरा मिलान सवत 2022 में दर्ज है। आज भी इन अतिक्रमीयों के वारिसान अपने परिवार सहित इन मकानों में निवास कर रहे हैं एवं वर्ष 1971 से 1977 के बीच ग्राम पंचायत साकरोदा पंचायत समिति राजसमन्द ने इन अतिकमीयों एवं उनके वारिसानों को इस आबादी भूमि के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही कर पट्टे आवटिंत किये हैं इस प्रकार साबिक आराजी नम्बर 1497/976 के सम्पूर्ण रकबा 12–10–00 भूमि पर लोगों के मकान बने हुये हैं। पंचायत द्वारा यहा सामुदायिक भवन बनवाया है जिसका मोहल्लेवासी उपयोग कर रहे है इसी आराजी में से होकर साकरोदा से पुठोल जाने वाली सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क बनी हुई है इस आराजी में मन्दिर भी हैं, पथवारिया भी हैं इस प्रकार से सम्पूर्ण रकबा आबादी के रूप में उपयोग हो रहा है। कृषि हेतु कोई जमीन शेष नहीं है। राजस्व केम्प साकरोदा में दिनांक 31/12/1978 को सबडिविजन अधिकारी की उपस्थिति में आयोजित हुआ इस केम्प में चगता पिता सवा जाति भील निवासी तारोट तहसील व जिला राजसमन्द ने मौजा तारोट में 10 बीघा भूमि के आवंटन हेतु न. ही आवेदन पत्र का सत्यापन किया इस अपूर्ण आवेदन पत्र पर प्रतिवेदन पटवार मण्डल साकरोदा तहसील राजसमन्द में बिना मौका जॉच किये पेश किया जिसमें हल्का पटवारी ने भी किसी भी आराजी नम्बर का उल्लेख नहीं किया केवल मात्र आवंटन अधिकारी ने अपनी मर्जी से आराजी नम्बर 1497/976 रकबा 00–04–00 अंकित कर आंवटन आदेश जारी कर दिये जबकि जबकी यह आराजी नम्बर पूर्व से ही आबादी के रूप में काम आ रहा था

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

तथा सम्पूर्ण आबादी में मकान बने हुये जिनके ग्राम पंचायत साकरोदा द्वारा पट्टे भी दिये गये है। आवंटन के पश्चात वगता पिता सवा का नाम जरिये नामान्तकरण राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी हक से दर्ज किया गया जिसे बाद में जरिये नामान्तकरण कमांक 195 से आराजी नम्बर 1562, 1497/976 रकबा 04–00–00 भूमि खातेदारी हक से दर्ज करने की स्वीकृति दी गई जबकि आवंटन आदेश में आराजी नम्बर 1562 का कहीं कोई उल्लेख नहीं हैं। बाद में जरिये शुद्धि पत्र दिनांक 03/06/2004 से आदेश होने से आराजी नम्बर 1562, 1497/976 रकबा 04–00–00 आराजी नम्बर 1562/976 दर्ज करने की स्वीकृति हुई। वगता पिता सवा जी भील की मृत्यु होने के पश्चात उक्त भूमि उसके पुत्र शंकर के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई लेकिन शंकर की भी मृत्यु हो चुकी हैं लेकिन उनके वारिसान के नाम विरासत से इन्तकाल नहीं खुला है विपक्षीगण उनके वारिसान हैं जिसके नाम इन्तकाल खुलना है। लेकिन इन्तकाल नहीं खुलने से एवं शंकर के विधिक उत्तराधिकारी होने से उन्हें इस रेफरेन्स में शंकर के बजाय विपक्षी बना दिया गया है। उप जिलाधीश महोदय राजसमन्द द्वारा दिनांक 31/12/1978 को वगता पिता सवा जी भील निवासी तारोट के पक्ष में किया। भू आवंटन विधि विरूद्ध है। भू आवंटन कार्यवाही पटवार मण्डल साकरोदा में लगें राजस्व केम्प में एक ही दिन में मौके की स्थिति को देखा बिना कर दिया जो अवैध विधि विरूद्ध होकर खारिज करने योग्य हैं। आवटन के पहले ही सम्पूर्ण रकबे में गाँव वारिसों के पक्के स्थाई मकान बने होकर ये अपने परिवार सहित निवास कर रहे हैं जिनके पास पंचायत द्वारा जारी पट्टे भी हैं। वर्तमान में इन मकानों में उनके वंशज निवास कर रहे है । प्रार्थीगण भी उन्हीं वशंजों में हैं। सम्पूर्ण रकबा आवासीय होकर उसमें पक्की सड़क, मन्दिर, सामुदायक भवन, मकान आदि बने हुये है। देखने मात्र से सम्पूर्ण आराजी एक आबादी मोहल्ला दिखाई देता है। हल्का पटवारी द्वारा खातेदारी अधिकार भी गलत रूपेण मौके की स्थिति के विपरित रिपोर्ट बना कर दिलवाये गये है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र की कालम संख्या एक में वर्णित भूमि सवत् 2022 में राजस्व अभिलेख में आबादी दर्ज होने एवं उस समय से ही गाँव वासियों के मकान बने होने से एवं इनके ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे दिये जाने से वगता के पक्ष में दिया गया भू आवंटन प्रारम्भतः शुन्य होकर काबिज खारिज है। जिस हेतु यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से भिजवाये जाने से पेश हैं प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित भूमि काननून भू आवंटन योग्य नहीं थी फिर भी विपक्षीगण के दादा वगता पिता सवा के नाम उप जिलाधीश महोदय राजसमन्द द्वारा आवटित कर दी गई जिसे निरस्त किया जाकर भूमि आबादी में अंकित की जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण इस आराजी में अपने पूर्वजों के समय से बने मकानों में निवास कर रहे जिस कारण हितबद्ध होकर उन्हें यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश करने का एक व अधिकार प्राप्त है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के दादा वगता पिता सवा भील के पक्ष में किये गये भू–आयटन जो पत्रावली क्रमांक 1172/78 पौसल दिनांक 31/12/1978 से आराजी नम्बर 1497/976 रकबा 04–00–00 किया गया उसे निरस्त फरमाया जाये।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के तहत को दर्ज कर अप्रार्थी को सूचना हेतु सूचना पत्र जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल सोनगरा ने उपस्थिति दी। तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के बावजूद सूचना लगातर पेशी पर अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। तथा अप्रार्थी संख्या 4 की ओर राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिती दी।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 के वक्त बहस अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता प्रार्थी व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम तारोट पटवार सर्कल साकरोदा भू–अभिलेख क्षेत्र फरारा तहसील व जिला राजसमन्द में विपक्षीगण के पिता शंकर पिता बगता जी मील के खातेदारी हक खाता संख्या नये पुराने क्रमशः 202 215, आराजी नम्बर वर्तमान साबिक नं. क्रमशः 1562/976, 1497/976, रकबा 04–00–00 किस्म बा. तृ. स्थित है। वर्णित कृषि भूमि आराजी नम्बर 1497/976 का कुल रकबा 12–10–00 बीघा है जो सवत् 2022 में राजस्व अभिलेख में आबादी दर्ज हैं। इस आराजी के सम्पूर्ण रकबे पर हेमा पिता चतरभुज, जगतिंग पिता लखा, वक्ता पिता सतारिंग, उदा, अनोप पिता देवा, भूरा पिता किका, भीमा पिता माना, चदना पिता खुमा, वक्ता पिता प्ररता, रूपा पिता खुमा, तेजींग पिता मोती, मोडा पिता दूजा, चदाना, भीमा पिता किशना, जीवा, देवा, वागा पिता दीपा, मेरा पिता हरलाल, खरवड के कब्जे हो वे इस जमीन पर उपर मकान बना अपने परिवार सहित निवास कर रहे हैं इस कब्जे का अंकन खसरा मिलान सवत 2022 में दर्ज है। आज भी इन अतिक्रमीयों के वारिसान अपने परिवार सहित इन मकानों में निवास कर रहे हैं एवं वर्ष 1971 से 1977 के बीच ग्राम पंचायत साकरोदा पंचायत समिति राजसमन्द ने इन अतिकमीयों एवं उनके वारिसानों को इस आबादी भूमि के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही कर पट्टे आवटिंत किये हैं इस प्रकार साबिक आराजी नम्बर 1497/976 के सम्पूर्ण रकबा 12–10–00 भूमि पर लोगों के मकान बने हुये हैं। पंचायत द्वारा यहा सामुदायिक भवन बनवाया है जिसका मोहल्लेवासी उपयोग कर रहे है इसी आराजी में से होकर साकरोदा से पुठोल जाने वाली सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क बनी हुई है इस आराजी में मन्दिर भी हैं, पथवारिया भी हैं इस प्रकार से सम्पूर्ण रकबा आबादी के रूप में उपयोग हो रहा है। कृषि हेतु कोई जमीन शेष नहीं है। राजस्व केम्प साकरोदा में दिनांक 31/12/1978 को सबडिविजन अधिकारी की उपस्थिति में आयोजित हुआ इस केम्प में चगता पिता सवा जाति भील निवासी तारोट तहसील व जिला राजसमन्द ने मौजा तारोट में 10 बीघा भूमि के आवंटन हेतु न. ही आवेदन पत्र का सत्यापन किया इस अपूर्ण आवेदन पत्र पर प्रतिवेदन पटवार मण्डल साकरोदा तहसील राजसमन्द में बिना मौका जॉच किये पेश किया जिसमें हल्का पटवारी ने भी किसी भी आराजी नम्बर का उल्लेख नहीं किया केवल मात्र आवंटन अधिकारी ने अपनी मर्जी से आराजी नम्बर 1497/976 रकबा 00–04–00 अंकित कर आंवटन आदेश जारी कर दिये जबकि जबकी यह आराजी नम्बर पूर्व से ही आबादी के रूप में काम आ रहा था

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

तथा सम्पूर्ण आबादी में मकान बने हुये जिनके ग्राम पंचायत साकरोदा द्वारा पट्टे भी दिये गये है। आवंटन के पश्चात वगता पिता सवा का नाम जरिये नामान्तकरण राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी हक से दर्ज किया गया जिसे बाद में जरिये नामान्तकरण कमांक 195 से आराजी नम्बर 1562, 1497/976 रकबा 04–00–00 भूमि खातेदारी हक से दर्ज करने की स्वीकृति दी गई जबकि आवंटन आदेश में आराजी नम्बर 1562 का कहीं कोई उल्लेख नहीं हैं। बाद में जरिये शुद्धि पत्र दिनांक 03/06/2004 से आदेश होने से आराजी नम्बर 1562, 1497/976 रकबा 04–00–00 आराजी नम्बर 1562/976 दर्ज करने की स्वीकृति हुई। उप जिलाधीश महोदय राजसमन्द द्वारा दिनांक 31/12/1978 को वगता पिता सवा जी भील निवासी तारोट के पक्ष में किया। भू आवंटन विधि विरूद्ध है। हल्का पटवारी द्वारा खातेदारी अधिकार भी गलत रूपेण मौके की स्थिति के विपरित रिपोर्ट बना कर दिलवाये गये है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित भूमि सवत् 2022 में राजस्व अभिलेख में आबादी दर्ज होने एवं उस समय से ही गाँव वासियों के मकान बने होने से एवं इनके ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे दिये जाने से वगता के पक्ष में दिया गया भू आवंटन प्रारम्भतः शुन्य होकर काबिज खारिज है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के दादा वगता पिता सवा भील के पक्ष में किये गये भू–आवंटन जो पत्रावली क्रमांक 1172/78 फैसल दिनांक 31/12/1978 से आराजी नम्बर 1497/976 रकबा 04–00–00 किया गया उसे निरस्त फरमाया जाये।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार एवं उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार निर्णय किया जाना न्यायसंगत है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गयी तहसीलदार राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक ग्राम तारोट के आराजी संख्या 1562/976 रकबा बीघा किस्म बारानी तृतीय संतोषलाल पुत्र शंकरलाल 1/3, खीमीबाई पुत्री शंकरलाल 1/3, बसन्ती पुत्री शंकरलाल 1/3 भील सा. देह के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। तथा ग्राम तारोट का आराजी संख्या 1562/976 संतोषलाल पुत्र शंकरलाल 1/3, खीमीबाई पुत्री शंकरलाल 1/3, बसन्ती पुत्री शंकरलाल 1/3 भील खातेदारो के नाम अंकित है परन्तु मौके अनुसार उक्त आराजी में खरवड़ व चदाणा (राजपूत) समाज के क्रमशः 13 परिवार के मकान व बाड़े बने हुए है एवं उक्त आराजी संख्या का आंशिक भाग रास्ते हेतु प्रयुक्त हो रहा है।

प्रार्थीगण द्वारा इस भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा द्वारा जारी किये गये पट्टे, जो 1972 में जारी किये गये थे प्रस्तुत किये गये है। इस जमीन के प्रार्थीगण व उनके पूर्वाधिकारी मकान बना अपने परिवार सहित निवास कर रहे हैं इस कब्जे का अंकन खसरा मिलान सवत 2022 में दर्ज है। भूमि पर मकान बनाकर निवास

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

करने वाले लोगो के बिजली बिल भी प्रस्तुत किये गये, तथा एक google map भी प्रस्तुत किया गया जिसके अवलोकन से स्पष्ट जाहिर हुआ कि सम्पूर्ण आराजीयात पर मकान बने हुए है तथा इसका कृषि उपयोग नहीं किया जा रहा है व आवंटियो का भूमि पर कब्जा नहीं है। तथा उनके द्वारा भूमि पर काश्त की जा रही है।

इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के अनुसार आवंटियो की अभिधृतियो का अवसान हो चुका है।

–:: आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मामला राजस्व मण्डल को रेफरेन्स प्रेषित करने हेतु स्वीकार किया जाता है। ग्राम तारोट तहसील राजसमन्द में स्थित भूमि का आराजी नम्बर 1497/976 रकबा 04–00–00 किस्म बारानी तृतीय विपक्षीगण को उपजिलाधीश राजसमन्द द्वारा आवंटन आदेश क्रमांक 1172/78 फैसल दिनांक 31/12/1978 के निरस्तीकरण के लिए प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेंस हेतु भेजे जाने के लिए एतद्द्वारा आदेश दिये जाते हैं।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांकः 29.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमन्द